UPMT010046332026

<u>न्यायालयः-अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-01, मथुरा।</u>
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2021/2026
उपस्थित–राम किशोर पाण्डेय, उच्चतर न्यायिक सेवा
कुलदीप प्रसाद उत्तर प्रदेश राज्य
<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या–304/2026, धारा–60(1),63 आबकारी अधिनियम, थाना–कोसीकलां, जिला–मथुरा के अभियुक्तगण **कुलदीप प्रसाद** की ओर से जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक–18.05.2026 को वादी मुकदमा उपनिरीक्षक उत्तम चौहान कोसीकलां मय हमराही कर्मचारीगण थाना क्षेत्र में वास्ते देखदेख शांति व्यवस्था, रोकथाम जुर्म जरायम चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं तलाश व दबिश वांछित अभियुक्त थाना क्षेत्र में मामूर थे, तभी जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि शराब तस्कर ट्रक में शराब छिपाकर होडल से मथुरा की ओर जायेंगे, यदि जल्दी की जाए तो शराब तस्करों को मय अवैध शराब के पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके हाइवे पर होडल से मथुरा ले पर बैरियर लगाकर चैकिंग करने लगे, तभी एक ट्रक दिल्ली की तरफ से आता हुआ दिखायी दिया, ट्रक चालक सामने बैरियर पर पुलिस वालों द्वारा की जा रही चैकिंग को देखकर ट्रक को बैरियर से करीब 40 कदम पीछे रोककर ट्रक से उतरकर भागने लगा, जिसे संदिग्ध प्रतीत होने पर एक बारगी दबिश देकर पकड़ लिया। उससे नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी है, तो उसने अपना नाम कुलदीप प्रसाद बताया तथा उसके कब्जे से कुल 1300/–रु० बरामद हुए। सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि ट्रक में शराब भरी है। ट्रक को एन०एच० 19 के किनारे वैकमेट कट के पास नवीपुर फैक्ट्री एरिया में खड़ा कराया गया। तलाशी लेने पर ट्रक के अंदर से 55 पेटी Royal Green शराब हरियाणा मार्का की बरामद हुयी। प्रत्येक पेटी को खोकर चैक किया गया, तो प्रत्येक पेटी के अंदर 48 पब्बे भरे हुए थे। ट्रक चालक द्वारा बताया कि उसे यह ट्रक सोनीपत एल 1 हरियाणा के बाहर चाबी लगा हुआ खड़ा मिला था। यह ट्रक आलोक निवासी बिहारी के कहने पर सोनीपत से पटना के पास मसोडी बिहार ले जा रहा था, जहां से ट्रक को आलोक लेकर जाता। पकड़े गये व्यक्ति से शराब रखने का लाइसेंस तलब किया गया तो दिखाने में कासिर रहा। अभियुक्त को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए, उसे अभिरक्षा में लिया गया तथा माल को कब्जे में लेकर मौके पर फर्द तैयार की गयी। उक्त फर्द बरामदगी के आधार अभियुक्त के विरूद्ध उक्त मामला पंजीकृत हुआ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र व उसके साथ संलग्न शपथपत्र में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व अन्य कोई जमानत प्रर्थनापत्र न तो निरस्त हुआ है और न ही किसी न्यायालय में लम्बित है। अभियोजन कथानक को पूर्णतः असत्य होना कहा गया है। वास्तव में अभियुक्त के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। अभियुक्त खाली ट्रक लेकर पटना, बिहार जा रहा था और रास्ते में पुलिस वालों ने पकड़ लिया तथा झूठे मुकदमें में चालान कर दिया। कथित घटना एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और

Digitally signed by RAM KISHOR PANDAY
Date: 2026.06.20 09:49:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न ही वह पूर्व सजायाफ्ता है। अभियुक्त दिनांक–19.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरांत जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा भी जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क सुने एवं समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार पुलिस द्वारा चैंकिग के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 55 पैटी अवैध अंग्रेजी शराब रॉयल ग्रीन, हरियाणा मार्का, बरामद होने का आरोप है। अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। यह भी कहा गया है कि कथित बरामदगी की कार्यवाही में कोई स्वतंत्र जनसाक्षी सम्मिलित नहीं किया गया है।

कथित घटना एवं बरामदगी का जनता को कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त की दोषसिद्धी के सम्बंध में कोई कथन नहीं किया गया है। अभियुक्त उक्त मामले में दिनांक–19.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किये बिना, न्यायालय इस अभिमत पर है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक द्वारा मुवलिग 50,000/–रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो–दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाय–

क. आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होंगे,

ख. आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेंगे,

ग. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होते रहेंगे एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेंगे,

घ. आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे,

ड़. आवेदक/अभियुक्त आरोप विचरित किए जाने, धारा–313 दं०प्र०सं० के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

दिनांक–03.06.2026

(राम किशोर पाण्डेय)
ID No. UP 6052
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–01, मथुरा।